| तारीख हुक्म | राम किशन बनाम रोडीबाई वगैरह<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 25-7-23 | **निर्णय**<br>प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 622/1 रकबा 0.23 हेक्टर ख.न. 656 रकबा 0.77 हेक्टर ख.न. 1045 रकबा 1.06 हे. ख.न. 1063 रकबा 2.09 हेक्टर ख.न. 939 रकबा 2.17 हेक्टर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है. उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज होने से पहले पूर्व खातेदार सूरजमल उर्फ सूरजमल के नाम खातेदारी में दर्ज थी. उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी ही काश्तकारी करता चला आ रहा है. पूर्व खातेदार सूरजमल के कोई औलाद पुत्र-पुत्री नहीं थे. पूर्व खातेदार सूरजमल प्रार्थी के परिवार के साथ ही रहता था. प्रार्थी ही पूर्व खातेदार सूरजमल की देखभाल करता था पूर्व खातेदार सूरजमल ने दिनांक 7 मई 2019 को ही प्रार्थी के पक्ष में अन्तिम वसीयत कर दी गई थी पूर्व खातेदार सूरजमल का दिनांक 12-9-2019 को देहान्त हो गया अप्रार्थी सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर वर्णित विवादित आराजी का नामान्तकरण स्वयं के नाम तस्दीक करवा लिया गया। जब उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त पूर्व खातेदार सूरजमल के समय ही चला आ रहा है अप्रार्थी सं.1 को विधि बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है अप्रार्थी सं.1 के नाम कोरी नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से नाजायज फायदा उठाते हुए दिनांक 1-6-2022 को अप्रार्थी सं. 3 लगायत 4 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया। जब की अप्रार्थी सं.1 के पति द्वारा उक्त विवादित आराजी की अन्तिम वसीयत प्रार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र से पूर्व कर दी गयी थी | |

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
बामोरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा वसीयतनामा दिनांक 7-5-2019 के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी है और निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी से बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थी ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। |
| | अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 1 रोडीबाई के नाम खातेदारी में दर्ज है पूर्व में रोडीबाई के पति सूरजमाल उर्फ सूरजमल के खातेदारी में दर्ज थी पूर्व खातेदार सूरजमल की सेवा पानी रोडीबाई ही करती थी रोडीबाई के कोई औलाद नहीं थी सूरजमल कोई वसीयत नहीं की गई उक्त वसीयत जाली फर्जी व बनावटी है। अप्रार्थी सं. 1 के पति की मृत्यु पश्चात खोला गया इंतकाल विधि सम्मत है निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करमाया जावे। |
| | उपरोक्त विवेचन व बहस उभयपक्ष व पत्रावली के अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी स्थिति में वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। प्रार्थी का कब्जा काश्त होना तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 का नाम दर्ज होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी का प्रार्थना न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः |
| Sd/- उपखंड अधिकारी ... (हुर्रा) | |

| ... हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ता फैसला मूलवाद अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.न. 622/1, 656, 1045, ~~1068~~ 1063, 939, 973, 645, एवं 654 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल नोताडा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि पे कब्जा नहीं करे प्रार्थी का कब्जा काश्त करने से नहीं रोके न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे साथ ही अप्रार्थी सं. 1 लगायत को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त विवादित आराजी का रहन बेचान नहीं करे। पत्रावली फैसला शुदा होकर शामिल मूल वाद रहे। | |
| | Sd/- <br> उपखण्ड अधिकारी <br> इन्द्रगढ़ (बूंदी) | |

Scanned with CamScanner